डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली

इजलास

पीठासीन अधिकारी – हेमराज गुर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्या –37 / 2024 दायर दिनांक– 15.03.24

सीसीएमएस नं. 2024 / 75

1. माखनसिंह पुत्र हरीसिंह
2. तेजसिंह पुत्र हरीसिंह
3. लाखन पुत्र हरीसिंह
4. कुन्ता पुत्री हरीसिंह
5. सुरजा बेवा बाबू
6. सलोनी पुत्री बाबू
7. हेमा पुत्री बाबू
8. निरी पुत्री बाबू
9. रिंका पुत्री बाबू

जाति जाट निवासी खीपकापुरा तहसील सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0)

————वादीगण–09

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली (राज0)

————प्रतिवादी

दावा बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 37 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री पी एल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण आराजी खसरा न0 हाल 1605 रकबा 02 ऐयर स्थित ग्राम खीपकापुरा, तहसील सूरौठ की किस्म गैरमुमकिन रास्ता को परिवर्तित करते हुए साबिक रिकॉर्ड के अनुरूप बारानी दर्ज किया जाये एवं आराजी खसरा न0 1605 रकबा 02 ऐयर स्थित ग्राम खीपकापुरा तहसील सूरौठ की भूमि में जबरन कोई रास्ता कायम नहीं करे और ना ही प्रशासनिक ताकत के बल पर उक्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करे और ना ही उक्त खसरा न0 में [illegible] वादीगण की फसल को नष्ट करे उक्त डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार सूरौठ को त[illegible] हों। वादीगण का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्त[illegible] अधिनियम [illegible] 88, 188 स्वीकार किया जाता है। पक्षकाराण अपना–अपना खर्चा [illegible] करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज त[illegible] 30-10-24 को यह जारी की गई।

(हेमराज गुर्जर) 30/10/24

उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:13:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner